झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

धाराएँ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
2. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम–05, 2006) की धारा–35 में संशोधन।
3. धारा– 39 में संशोधन।
4. धारा– 40 में संशोधन।
5. धारा– 42 में संशोधन।
6. धारा– 79 में संशोधन।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020

[सभा द्वारा यथा पारित]

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) में संशोधन हेतु विधेयक ।

एतद द्वारा भारत के एकहतरवे वर्ष में झारखंड राज्य के विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित - - रूप से यह अधिनियमित हो

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ**:- यह अधिनियम झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जाएगा।

   (2) यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा।

   (3) इसे 13 अगस्त, 2020 से प्रवृत माना जाएगा।

2. धारा 35 में संशोधन– धारा 35 की उपधारा (8) में एक परंतुक निम्नवत् जोड़ा जाएगा:-

   'परंतुक यह कि कर-निर्धारण वर्ष 2016–17 हेतु उप-धारा (6) के अन्तर्गत कर-निर्धारण 31 अगस्त, 2020 तक किया जा सकेगा।'

3. धारा 39 में संशोधन –धारा 39 की उपधारा (1) में प्रथम परंतुक के पश्चात एक परंतुक निम्नवत् जोड़ा जाएगा:-

   'परंतुक यह और कि कर-निर्धारण वर्ष 2014–15 हेतु धारा 37 अथवा 38 के अन्तर्गत कर-निर्धारण 5 वर्ष की समाप्ति के उपरांत भी दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक किया जा सकेगा।'

4. धारा 40 में संशोधन - धारा 40 की उपधारा (4) में एक परंतुक निम्नवत् जोड़ा जाएगा:-

   'परंतुक यह कि कर-निर्धारण वर्ष 2014–15 या उसके कुछ भाग हेतु, धारा 40 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत कर-निर्धारण एवं पुनः कर-निर्धारण 5 वर्ष की समाप्ति के उपरांत भी दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक किया जा सकेगा।'

5. धारा 42 में संशोधन - (1) धारा 42 की उपधारा (1) में एक परंतुक निम्नवत् जोड़ा जाएगा:-

   'परंतुक यह कि सक्षम प्राधिकार उक्त न्याय-निर्णय या आदेश के अनुरूप, कर-निर्धारण एवं पुनः कर-निर्धारण दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक कर सकेगा जो दिनांक 31 मार्च,

2020 तक किया जाना था।'

(2) धारा 42 की उपधारा (2) में एक परंतुक निम्नवत् जोड़ा जाएगा:-

'परंतुक यह कि जहां कोई न्यायालय या न्यायाधिकारण अपील या पुनरीक्षण में इस आशय का आदेश जारी करता है कि इस अधिनियम या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन निर्धारित कर को इस अधिनियम के अधीन निर्धारित न करके किसी अन्य विधि या उपबंध के अधीन निर्धारित किया जाना चाहिए तो उस आदेश के परिणामस्वरूप अथवा आदेश में वर्णित निदेश या निष्कर्ष को लागू करने के लिए उस आवर्त या उसके किसी भाग का यथास्थिति कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण अन्यथा लागू परिसीमन अवधि के होते हुए भी इस आदेश के जारी करने की तारीख जो 31 मार्च, 2020 तक की जानी थी, को दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक किया जा सकता है।'

6. धारा 79 में संशोधन - धारा 79 की उपधारा (7) में एक परंतुक निम्नवत् जोड़ा जाएगा:-

'परंतुक यह कि इस धारा के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2020 तक पारित किए जाने वाले आदेश को दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक पारित किया जा सकेगा।'

7. निरसन एवं व्यावृत्तियाँ :- झारखंड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद द्वारा निरसित किया जाता है। ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा अथवा के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्गत आदेश, अधिसूचनाएं एवं अन्य कोई भी कार्यवाही या अन्य कोई कार्य इस अधिनियम द्वारा या के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया था, की गयी समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन यह कार्य किया गया था, अथवा कार्रवाई की गयी थी।

यह विधेयक झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020 दिनांक 22 सितम्बर, 2020 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 22 सितम्बर, 2020 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(रवीन्द्र नाथ महतो)
अध्यक्ष

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 35(A)--50--30-09-2020 ।